न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/874/2005/जोधपुर

1- आबूराम पुत्र श्री नेनूराम जाट निवासी सांगरिया हाल चौपासनी आवासन मण्डल सैक्टर 17, म0नं0 17/623, जोधपुर।
2- रमेश पुत्र श्री नेनूराम जाट, निवासी सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर।

------ अपीलांट्स

बनाम

1- खींयाराम मृतक जरिये वारिसान-
   1/1. श्रीमती गंगादेवी बेवा खींयाराम
   1/2. गीतादेवी पुत्री खींयाराम निवासी सांगरिया, तहसील लूणी, जोधपुर।
2- मगाराम
3- लिछमण
4- विराराम
5- मंगाराम पुत्रान रणछोड जाट, निवासी सांगरिया तहसील व जिला जोधपुर।

------- असल रेस्पो0

6- शांतिदेवी पत्नि तुलछीराम जाट
7- देवेन्द्र चौधरी पुत्र तुलछीराम जाट निवासी सांगरिया तहसील व जिला जोधपुर।
8- भंवरलाल पुत्र भाणुराम जाट, निवासी सांगरिया हाल भगत की कोठी, आवासन मण्डल विस्तार योजना, जोधपुर।
9- ओमप्रकाश पुत्र भाणुराम जाट, निवासी सांगरिया हाल चौपासनी आवासन मण्डल सैक्टर 18, जोधपुर।
10- अरविन्द पुत्र भाणुराम जाट, निवासी हाल हनुमानजी मंदिर के पास भगत कोठी।
11- मेनादेवी पत्नि भाणुराम जाट, निवासी सांगरिया, हाल भगत की कोठी आवासन मण्डल विस्तार योजना जोधपुर।
12- रमेश पुत्र बस्तीराम जाट, निवासी हाल भगत की कोठी, रेल्वे स्टेशन, जोधपुर।
13- पुखराज पुत्र बस्तीराम जाट,
14- राकेश पुत्र बस्तीराम जाट, निवासी हाल म0नं0 274, भगत की कोठी, जोधपुर।
15- सांवलराम मृतक जरिये वारिसान -
   15/1. शिव चौधरी पत्नि सांवलराम चौधरी,
   15/2. अश्वनी चौधरी पुत्र श्री सांवलराम चौधरी, निवासी म0नं0 388 कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
   15/3. वैशाली सारण पत्नि श्री अशोक सारण निवासी डिफेन्स कॉलोनी, जयपुर।

अपील/डिक्री/टीए/874/2005/जोधपुर
आबूराम बनाम खींयाराम

16- भंवरलाल पुत्र रणछोड़ जाट, निवासी सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर।

------ तर0 रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अपीलांट्स।
(2) श्री जी0एस0 लखावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय **दिनांक :- 12.10.2023**

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के अपील संख्या 142/2004 (58/2004) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-02-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), जोधपुर के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत किया गया। वादपत्र प्रस्तुत होने पर उसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिन्होंने उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 05-10-1981 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया जिस निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर अपीलांट खींयाराम वगैरा ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25-02-2005 से अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05-10-1981 अपास्त कर दी तथा नामान्तरकरण सं0 65 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्द्राजात किये गये उन्हें निरस्त किया जाकर उक्त नामान्तरकरण की स्वीकृति के पूर्व की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति पुनः स्थापित करने के आदेश दिये गये

हैं। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 25-02-2005 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- हमने अपील पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 सं0 1 ल0 5 को आराजी मुतनाजा के पूर्व इन्द्राज जो कि अपीलांट्स के पिता नैनूराम के पक्ष में सन् 1965 से भी पूर्व से चले आ रहे हैं व कब्जा भी उन्हीं का किशनाराम जी के जीवनकाल से चला आ रहा था क्योंकि नैनूराम किशनाराम जी के दामाद थे। अतः किशनाराम जी के देहान्त के पश्चात् पारिवारिक समझौते के अनुसार भूमि नैनूराम जी के नाम दर्ज की गई। रेस्पो0 सं0 1 ल0 5 परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे और न ही उनका कोई केस ही परीक्षण न्यायालय में पेश हुआ था व दावा केवल नैनूराम व उसके पुत्रों के बीच में बंटवारे का था उस बंटवारे की डिक्री में रेस्पो0 सं0 1 ल0 5 का कोई संबंध नहीं था। विपक्षीगण ने नामान्तरकरण सं0 65 के विरूद्ध पूर्व में एक अपील जिला कलक्टर, जोधपुर के समक्ष 40 वर्ष पश्चात् पेश की थी जिसे जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 06-10-2004 द्वारा निरस्त कर दिया। रेस्पो0 सं0 1 ल0 5 ने कोई वाद नैनूराम या अपीलांट्स के विरूद्ध आज दिनांक पेश नहीं किया है न ही उनका कब्जा गत 40 वर्षों में कभी रहा है। ऐसी स्थिति में कब्जे बाबत् कोई फाईण्डिंग दिये बिना 40 वर्ष पूर्व तस्दीक नामान्तरकरण को अपीलांट के वाद में निरस्त करने में अपील अधिकारी ने भारी भूल की है। विपक्षी भंवरलाल, रमेश, राकेश व अरविन्द व ओम प्रकाश ने पूर्व में एक वाद अपीलांट्स के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में घोषणा खातेदारी एवं विभाजन हेतु पेश किया था जो दिनांक 06-07-1998 को डिक्री किया गया जिसकी अपीलांट ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष पेश की जो उनके द्वारा दिनांक 29-10-1998 को स्वीकार कर विपक्षी के पक्ष में पारित निर्णय निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध विपक्षी

ने एक प्रार्थना पत्र एकतरफा डिक्री को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध विपक्षी ने एक प्रार्थना पत्र एकतरफा डिक्री को निरस्त करने हेतु अपील को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध विपक्षीगण ने अपील राजस्व मण्डल में पेश की जिसे राजस्व मण्डल ने दिनांक 11-06-2002 को निरस्त कर दी। इस प्रकार रणछोड़ के पुत्र जो कि रेस्पो0 से मिले हुए हैं जब उनका बंटवारे एवं घोषणा का दावा निरस्त हो चुका है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 25-02-2005 निरस्त फरमाया जावें व विद्वान उपजिलाधीश, जोधपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 05-10-1981 व नामान्तरकरण सं0 65 बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

5- प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि भंवरलाल की वसीयत दिनांक 25-01-1965 के आधार पर नामान्तरकरण सं0 65 भर दिया गया। वसीयत सादे कागज के स्टाम्प पर थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपील पांच व्यक्तियों ने की थी। भंवरलाल प्रतिवादी नं0 2 था। भंवरलाल के जीवित रहते नामान्तरकरण खोला गया जो गलत है। नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी में नाम आया गया फिर बंटवारे का दावा कर डिक्री करा ली। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री गलत है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 निय 27 सी0पी0सी0 स्वीकार कर डिले का कण्डोन किया एवं धारा 96 सी0पी0सी0 की दरख्वास्त स्वीकार की। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री गुणावगुण पर सही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7- विद्वान उपजिलाधीश, जोधपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05-10-1981 में अंकित किया कि प्रतिवादी सं0 1 से 3 को खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा किया जाता है।

8- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25-02-2005 से अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05-10-1981 अपास्त किया जाता है।

9- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान न्यायालय उपजिलाधीश, जोधपुर ने दिनांक 05-10-1981 को निर्णय पारित किया कि ग्राम सांगरिया के खसरा नं0 99 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं0 23 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा खसरा नं0 36 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार प्रतिवादी नैनूराम है। वक्त पैमाईश पर्चा लगान प्रतिवादी के अकेले के नाम ही हो गया था। इकबाली जवाब अनुसार वाद के सभी पेरे स्वीकार किये है। अतः प्रतिवादी सं0 1 से 3 को खातेदार घोषित किया जाकर बंटवाडा किया जाता है।

10- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25-02-2005 में अंकित किया कि अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05-10-1981 अपास्त किये जाते हैं तथा नामान्तरकरण सं0 65 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्द्राजात किये गये, उन्हें निरस्त किया जाकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के पूर्व की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति पुनः स्थापित करने के आदेश दिये जाते हैं।

11- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर केवल जमाबन्दी सम्वत् 2035-2038 उपलब्ध है जिसमें भूमि नैनूराम के नाम दर्ज है। भूमि पैतृक भूमि होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रेस्पो0 की ओर से वसीयतनामे की जो प्रति पेश की गयी, उसके अनुसार उक्त भूमि भंवरलाल द्वारा अपनी ओर से एवं अपने नाबालिग भाई खींयाराम की ओर से नैनूराम को वसीयत की गयी एवं इसी वसीयतनामे को आधार मान कर भूमि जरिये नामान्तरकरण सं0 65 के नैनूराम के नाम दर्ज की गयी। उल्लेखनीय है कि स्वयं खींयाराम इस अपील में अपीलार्थी है तथा भंवरलाल भी रेस्पो0 है। इस प्रकार भंवरलाल व खींयाराम दोनों जीवित है, इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है। यह तयशुदा सिद्धान्त है कि केवल वसीयतकर्ता के मरने के पश्चात् ही किसी को अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार हमारे विचार से नामान्तरकरण सं0 65 स्वीकार किया जाना ही अपने आप में शून्य के समान है एवं इसके आधार पर जमाबन्दी में जो इन्द्राज नैनूराम

के नाम किये गये, उनकी कोई कानूनी अहमियत नहीं रह जाती है एवं उसे खातेदार नहीं माना जा सकता। यही कारण रहा होगा कि स्वयं वादीगण ने दावे के साथ केवल सम्वत् 2035 से 2038 की जमाबन्दी पेश की एवं इसी के आधार पर भूमि को पुश्तैनी मानते हुए वादीगण का दावा डिक्री किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो डिक्री विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गयी वह राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत होकर खारिज किये जाने योग्य है।

12- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा विस्तृत विवेचन कर अपील स्वीकार कर उपजिलाधीश, जोधपुर का निर्णय अपास्त किया गया है जो पूर्णतया विधिसम्मत् है।

13- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

14- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(आर0डी0मीणा)
सदस्य